मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण 13, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-60-2015-1/पांच (119), दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रुस्तम सिंह, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 19 सन् 1973) की धारा 10 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित नियम :-

(i) मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, हौम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2017,

(ii) मध्यप्रदेश एम.डी. (होम्यो.) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017, तथा

(iii) मध्यप्रदेश एम.डी. (आयुर्वेद) / एम.एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम, 2017 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री के.डी. देशमुख, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले की कई तहसीलों के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य, धार जिले के कुक्षी एवं डही आदिवासी क्षेत्र में डायवर्सन को लेकर अधिकतम पेनाल्टी लगाई जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम नागझिरी में कन्या हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने,
(2) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के मधुकरशाह वार्ड में निशा डेयरी से कैलाश मिश्रा के मकान तक सी.सी. रोड निर्माण करने एवं सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(3) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के चकदहाई बांध का निर्माण किये जाने,
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत अमा, रगौली सहित अन्य ग्रामों में स्टापडेम निर्माण किये जाने,
(5) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम छकता से बांसा होकर मोहनी तक सड़क निर्माण किये जाने,
(6) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम थरेट में कन्या इंटर कॉलेज खोले जाने,
(7) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम सगरा वार्ड 16 की सड़क का विस्तार किये जाने,
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम देवली से खेरियारोड़ तक पक्की सड़क का निर्माण किये जाने,
(9) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच शहर के जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति के लिए सामुदायिक भवन (शबरी आश्रम) का निर्माण किये जाने,
(10) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मिसिरा ग्राम पंचायत बेला कमोद नईगढ़ी में केबलीकरण कर ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

(11) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पलपुरा में आंगनवाड़ी भवन बनाये जाने,
(12) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कुम्हरवारा के पकिया नाला पर स्टापडेम का निर्माण किये जाने,
(13) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम मोहम्मदपुर में 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन का निर्माण किये जाने,
(14) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले की जनपद पंचायत चॉवरपाठा के एन.एच-12 ग्राम मदनपुर से बरेली के बीच नाले पर पुल निर्माण किये जाने,
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम करौदा टोला में ग्रेवल रोड निर्माण किये जाने,
(16) श्री कालुसिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के ग्राम कछवानिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(17) श्री राजेश सोनकर, सदस्य, इन्दौर जिले के ग्राम पुवार्डा-क्षिप्रा सांवेर तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(18) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम भमोरी से झुगरिया के बीच बाकड़ नदी पर पुल/पुलिया निर्माण किये जाने,
(19) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य, भोपाल शहर की होशंगाबाद रोड स्थित आशिमा मॉल से कटारा हिल्स रोड पर स्थित सुरेन्द्र बिहार कालोनी के गटरों की मरम्मत तथा कचरा हटाने,
(20) एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य, मुरैना जिले की अटेर रोड से ग्राम विरहा तक सड़क बनाये जाने,
(21) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम लुहर्रा से देवरान तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(22) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम खांकरागंदी को खजूरिया फीडर से पृथक कर बारवॉ फीडर से जोड़े जाने,
(23) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के ग्राम महुखान से ग्राम सेमरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(24) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य, मन्दसौर जिले के नगर शामगढ़ में उद्योग स्थापित किये जाने,
(25) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम विगनोदीपुरा में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,
(26) श्री अमर सिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम रामपुरिया से गोरधनपुरा की नेवज नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(27) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम टर्राखुर्द से भूतकछा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(28) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम बुधरोड (शाहनगर) के हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(29) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के दोह चक्र-1 मुख्य मार्ग से पुरानी दोह तक सड़क निर्माण किये जाने,
(30) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम करमसरा से रिघवाटोला होकर मोझधाम तक सड़क निर्माण किये जाने,
(31) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम मारूगड़ में 132 के.व्ही. नवीन विद्युत केन्द्र स्वीकृत किये जाने,
(32) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम खिरसाडोह से देवरीढाना तक रोड निर्माण किये जाने,
(33) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम बहेरी और यू.पी. सीमा के मध्य नाले में उच्चस्तरीय पुल निर्माण किये जाने,
(34) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम हिनौती, पटपरा सहित अन्य ग्रामों में बाणसागर परियोजना नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध किये जाने,
(35) श्री घनश्याम पिरौनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम शुक्लहारी के नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(36) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के भलुहा से खजुहा, रायपुर (कर्चु.) पुरानी मुख्य सड़क को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत किये जाने,
(37) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले की तहसील कैलारस में सिविल कोर्ट खोले जाने,
(38) श्री राजकुमार मेव, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम कवाडिया से पालदा सहित अन्य ग्रामों तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(39) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(40) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम सहजपुर एवं देवरीनाहरमऊ (नन्हीदेवरी) में पुलिस चौकी स्वीकृत किये जाने,
(41) श्री चेतराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम तोरणवाडा से परसोडी तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,
(42) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम टिकारी से नरेला तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(43) श्री नथनशाह कवरेती, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के खजरी से खटटू ढाना एवं आवरिया मेन रोड से माचीघाट तक सड़क निर्माण किये जाने,
(44) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के पशु चिकित्सालय नरसिंहपुर सहित अन्य उपकेन्द्रों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण करने हेतु राशि स्वीकृत किये जाने,
(45) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम देतपोन शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(46) श्री मथुरालाल,सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम अमलेटा से बंजली मार्ग पर अण्डर ब्रिज का निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

श्री विश्वास सारंग, सहकारिता मंत्री, दिनांक 24 जुलाई, 2017 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्रमांक 1289) के उत्तर भाग (क) के पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पत्रक-1 में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

- 3 -

निर्धारित समय	## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य.
30 मि.	(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
1 घण्टा	(2) श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
30 मि.	(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 32 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
30 मि.	(4) श्रीमती माया सिंह, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 28 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाए.
30 मि.	(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2017 (क्रमांक 29 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
30 मि.	(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 30 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
30 मि.	(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 31 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.
1 घण्टा	(8) श्री दीपक जोशी, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 27 सन् 2017) पर विचार किया जाए. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

अल्प वर्षा से फसलों के नष्ट होने, कृषि उत्पादों का समुचित मूल्य न मिलने, कृषि मजदूरों के पलायन आदि के कारण कृषि एवं कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, फुन्देलाल सिंह मार्को, आरिफ अकील, बाला बच्चन, सुखेन्द्र सिंह, जितू पटवारी, के.डी. देशमुख सदस्य चर्चा उठायेंगे.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 3 दिसम्बर, 2017